राजस्थान राज्य–पत्र जून 30,1977 भाग 6 (क),

विज्ञप्ति

जयपुर अप्रेल 30,1977

संख्या टैक्स/एफ (2) डी एल बी/77/1086:– राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 (अधिनियम 38 सन् 1959) की धारा 90 की उप–धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद द्वारा सलंग्न नगर परिषद अजमेर विज्ञापन उपविधियां 1977 जो कि नगर परिषद, अजमेर के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 90 की उपधारा 1 के खण्ड (ए.सी.) के अन्तर्गत बनाये है की स्वीकृति प्रदान करती है।

विज्ञापन उपविधियां 1977

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (अधिनियम संख्या 38 सन् 1959) की धारा 90 की उपधारा (1) के खण्ड (ए.सी.) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर–परिषद अजमेर एतद् द्वारा निम्नांकित उपविधियां बनाती है नामतः–

नगर परिषद अजमेर विज्ञापन विधियां 1977

1. शीर्षक सीमा एवं प्रभाव :– (क) ये उपविधियां नगर परिषद अजमेर विज्ञापन उपविधियां 1977 कहलायेगी।
(ख) ये उपविधियां राजस्थान सरकार से स्वीकृत होकर राजस्थान राज पत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगी।
(ग) ये उपविधियां नगर परिषद अजमेर की समस्त सीमा में प्रभावशील होंगी।

2. शाब्दिक परिभाषाएं :– जब तक अर्थ में असंगतता अथवा भाव मे विपरीतता न हो, इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ निम्नांकित शब्दों की परिभाषा निम्न प्रकार व्यक्त होगी :–
(क) 'प्रशासक' से अभिप्रेत नगर परिषद प्रशासक से है तथा अध्यक्ष की अवस्था में नगर परिषद अध्यक्ष सम्मिलित है तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे उपाध्यक्ष सम्मिलित है।
(ख) 'अनुज्ञापत्र' (लाइसेन्स) से अभिप्रेत इन उपविधियों के अन्तर्गत प्रदान किये जाने वाले या प्रदान किये गये अनुज्ञापत्र से है।
(ग) 'अनुज्ञापत्रधारी' (लाइसेन्सी) से अभिप्रेत इन उपविधियों के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र (लाइसेन्स) प्राप्त करने वाले व्यक्ति से है तथा इनमे इनका अभिकर्ता प्रतिनिधि से एवं अन्य कर्तव्यस्त सेवक सम्मिलित है।

(घ) 'आयुक्त' से अभिप्रेत आयुक्त नगर परिषद अजमेर से है।
(ड़) 'नगर परिषद सूचना पटट्' से अभिप्रेत परिषद द्वारा नियुक्त पट्ट् से है जो किसी भी प्रकार के सूचना पत्र विज्ञापन हस्त विपत्र (हैन्ड बिल) आदि। लगाने अथवा चिपकाने के लिये परिषद् द्वारा निश्चित किया गया है।
(च) 'परिषद' से अभिप्रेत नगर परिषद अजमेर से है तथा उसमें प्रशासक सम्मिलित है।
(छ) 'विज्ञापन' से अभिप्रेत ऐसे पटट् या सूचना पटट् , हस्त विपन्न रेखाचित्र. नाम पट्ट विद्युत चलित विज्ञापन व होर्डिंग्स आदि से है जो किसी भवन, भूमि या दीवार पर प्रकाशित हो तथा जो किसी विज्ञापन को प्रदर्शित करने के लिये प्रयुक्त हो अथवा उसी फर्म अथवा व्यक्ति विशेष का नाम प्रदर्शित करे।
(ज) 'सोफिस्टीकेटेड एरिया' से अभिप्रेत ऐसे क्षेत्र से है जो लाइसेन्सीज ऑथोरिटी द्वारा विज्ञापन समिति की राय से निर्धारित किया जावे।
(झ) 'विज्ञापन समिति' से अभिप्रेत उस समिति से है जिसका गठन लाइसेन्सिंग ऑथोरिटी द्वारा किया जावेगा।

3. निरसन :– उन उपविधियों के प्रवर्तन मे जाने के पश्चात् इन उपविधियों से संबन्धित संपूर्ण नियम, उपनियम, प्रस्ताव, विज्ञप्तियां एवं आदेश जो भी प्रचलित है समग्रेस से विरवण्डित हो जावेगें परन्तु उन उपविधियां के प्रवर्तन मे आने से पूर्व में उक्त नियमों, उपनियमों , प्रस्ताव विज्ञप्तियों, आदेश के अन्तर्गत किया हुआ कोई कार्य केवल इन उपविधियों के प्रभावशील हो जाने के कारण अवैध नहीं समझा जावेगा बशर्ते कि ऐसा कार्य इन उपविधियों के प्रावधानों के विपरीत न हो।

4 :– निषेध :– (1) परिषद की सीमा में :– कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विज्ञापन किसी भवन पुल मार्ग मय फुटपाथ, पेड नगर, प्राचीर नगर द्वारा बिजली या टेलीफोन के खम्भे, चल वाहनों पर अथवा किसी भी खुले स्थान पर बिना अनुज्ञापत्र के नही लगावेंगे और न चिपकावेंगे।
(2) कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के विज्ञापन बिना अनुज्ञापत्र के किसी भवन पुल मार्ग नगर प्राचीर व नगर द्वारा बिजली या टेलीफोन के खम्भे चल वाहन पर नहीं लिखेगा, न चित्रित करेगा और न अन्य किसी प्रकार की तस्वीरों द्वारा ऐसे संकेत प्रदर्शित करेगा कि जिनको कोई भी साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति विज्ञापन होने का ख्याल करे।
(3) कोई भी व्यक्ति किसी मार्ग सड़क पुल नगर प्राचीर या नगर द्वारा बिजली या टेलीफोन के खम्भों व चल वाहनों पर या उससे सटता हुआ किसी प्रकार का कोई विज्ञापन बिना अनुज्ञापत्र के न तो लटकावेगा ओर न प्रदर्शित करेगा।
(4) कोई भी व्यक्ति अथवा स्वामी निजी भवनों के ऐसे स्थानों पर जो किसी सार्वजनिक मार्ग से दिखाई देते हैं अथवा किसी आम रास्ते से प्रभावित होते हों किसी भी प्रकार के विज्ञापन आदि नहीं चिपकावेगा व चिपकाने की स्वीकृति देगा न

लिखेगा न लिखने की स्वीकृति देगा न चित्रित करेगा और न चित्रित करने की स्वीकृति देगा।

(5) अनुज्ञापत्र प्राप्ति की प्रणाली :– (क) (1) इन उपनियमों के प्रयोजनार्थ आयुक्त अनुज्ञापत्र प्राधिकारी (लाइसेन्सिंग ऑथोरिटी) होगा या परिषद या परिषद प्रशासक (परिषद न होने की अवस्था में) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी भी लाइसेन्सिंग ऑथोरिटी होगें।

(क) (2) लाइसेन्सिंग ऑथोरिटी द्वारा एक विज्ञापन समिति का गठन किया जावेगा जिसके निम्न सदस्य होगें :–

1. आयुक्त नगर परिषद, अजमेर,
2. पुलिस अधीक्षक द्वारा मनोनीत कोई अधिकारी,
3. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग,
4. सचिव, नगर सुधार न्यास,
5. वरिष्ठ नगर नियोजन अधिकारी,

(ख) किसी विज्ञापन को सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाने लगाने लिखने अथवा चित्रित करने या आरपार लटकाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति उपविधियों में वर्णित किसी भी फार्म के लिये लिखित आवेदन पत्र देगा और आवेदन पत्र के साथ ऐसे विज्ञापन की एक प्रति तथा चिपकाये या लिखे जाने वाले स्थान का रेखाचित्र भवन का नाम स्थान वार्ड निर्माण स्थान आदि की पूरी जानकारी प्रस्तुत करेगा।

परन्तु विज्ञापन एंगिल आइरन अथवा अन्य प्रकार के निजी खम्भों के आधार पर पट्ट लगाकर सार्वजनिक मार्ग में निदिष्ट स्थानों पर लगाना हो तो उसका पूरा विवरण मय निर्माण की प्रणाली के पट्ट का नाम व साइज भी प्रस्तुत करेगा।

(ग) आवेदन पत्र की स्वीकृति होने पर 2/– प्रति वर्ग फीट के हिसाब से शुल्क की अग्रिम राशि जमा करानी होगी तथा प्रति वर्ष लाईसेन्स का नवीनीकरण कराना होगा।

(ध) यदि आवेदन पत्र नगरपालिका सूचना पट्ट पर चिपकाने के लिये प्रस्तुत हुआ है तो आवेदक उतनी ही प्रतियां विज्ञापनों के साथ में प्रस्तुत करेगा जितनी कि वह चिपकाना चाहता है और आवेदन पत्र मे उन सब नगरपालिका सूचना पट्टों का विवरण देगा जिन पर चिपकाने का वह इच्छुक है लेकिन ऐसी सूचनायें अथवा विज्ञापन पत्र 60 X 80 सेन्टीमीटर से अधिक बडे नहीं होंगे। ऐसे विज्ञापन–पत्र की शुल्क फीस 2/5 रु. 60 X 60 से.मी. के हिसाब से होगी।

6. इन उपविधियों की उपविधि 5 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्र आयुक्त या अधिकृत अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया जा सकेगा। यदि :–

1. आवेदन पत्र मे उपविधि 5 की शर्तो की पूर्ति नहीं की गई है।

2. उसके दृष्टिकोण से विज्ञापन अनुचित या अवैधानिक है अथवा अशिष्ट या अश्लील या नागरिकों के लिये क्लेशवर है अथवा उनका प्रर्दशन उसकी दृष्टि में किसी भी अन्य प्रकार से अवांछनीय है या जिनमें अश्लील, अभद्र, नग्न अथवा नशे के चित्र या संकेत या लिखित रूप मे प्रदर्शित किये गये है।

3. विज्ञापन से जन शान्ति भंग होने का अंदेशा हो या सार्वजनिक हित में अथवा जन संगठन में बाधक हो और

4. विज्ञापन उपविधियों मे निर्दिष्ट प्रावधानों के विपरीत हो।

7. आयुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारियों का अधिकार होगा कि वह अनुज्ञाधारी को बिना पूर्व सूचना दिये ऐसे विज्ञापनों को चाहे वे मुद्रित हो या लिखित हो या चित्रित हो या नगरपालिका पट्ट पर लगाये हों जिनसे जन शान्ति भंग होने का अंदेशा हो या अन्य प्रकार से सार्वजनिक हित या संगठन में बाधक हों या उपविधि 6 के अंतर्गत आते हों या बिना स्वीकृति लगाये गये हों या विशेषतया किसी विशिष्ट भव्य जन के आगमन पर बाधक समझे जायें यदि पट्ट निजी है और गंदी व भद्दी हालत मे रखा जाता है तो हटा सकेगा अथवा स्वच्छ करा सकेगा।

8. प्रत्येक विज्ञापन आदि समान्यतया उसी फर्म और व्यक्ति का माना जावेगा जिनका कि उस पर नाम अंकित है जब तक कि सक्षम व्यापाधिकरण द्वारा विपरीत प्रभावित नहीं जावें।

9. इन उपविधियों के अंतर्गत प्रदान किये गये कोई भी अनुमति–पत्र या अनुज्ञा–पत्र हस्तान्तरणीय होंगे। हर होर्डिंग पर फर्म या व्यक्ति का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।

9. (क) एडवरटाईजिंग ऐजेन्सीज भी अनुज्ञापत्र इन उपविधियों के अंतर्गत प्राप्त कर सकेगें।

10. इन उपविधियों के अनुसार जो भी विज्ञापन अथवा चित्रित या लिखित विज्ञापन सूचनाऐं आदि हटाई या पोतकर स्वच्छ की जावेगी उनके लिये परिषद किसी प्रकार की क्षति की उत्तरदायी नहीं होगी और न ही शुल्क की राशि लौटाई जावेगी जो स्वीकृति के लिये जमा की गई है।

11. (क) नगर परिषद द्वारा निर्देश स्थान अथवा किसी भी निजी भवन की ऐसी दीवार पर जो कि सार्वजनिक मार्ग पर हो विज्ञापन प्रदर्शित किये जो सकेंगें। बशर्ते कि स्वच्छ वायु पर कुप्रभाव न पडे यदि ऐसे निजी भवन पर नगर पालिका के सूचना पट्ट का निर्माण कराया जावेगा तो उसका किराया अथवा मुआवजा उचित मात्रा में परिषद द्वारा निश्चित किया जाकर भवन के स्वामी को दिया जा सकेगा।

(ख) ऐसे सूचना पट्ट नगर में भिन्न–भिन्न बाजारों अथवा दीवारों पर निर्माण करे जावेगें। जिनका क्षेत्रफल परिषद द्वारा निर्धारित किया जावेगा।

12. नगरपालिका सूचना पट्ट पर विज्ञापन चिपकाने के लिये आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आयुक्त/प्राधिकृत अधिकारी का कर्तव्य होगा कि :–

(अ) यदि वह विज्ञापन को अनुमोदित करता है तो नगर पालिका को उक्त पट्टो पर जिनकी बाबत आवेदक ने प्रार्थना की है, एक प्रति किसी कर्मचारी द्वारा लगवा देगा।

(ब) यदि वह विज्ञापन आदि को अस्वीकार कर देता है तो लिखित में कारण बताते हुये उसकी प्रतियां वापिस आवेदक को लौटा दी जावेगी।

(स) यदि लौटाई जाने वाली सूचनाओं की या विज्ञापनों की शुल्क जमा हो चुकी हो तो वह भी वापस लौटा दी जावेगी।

13. जो कोई व्यक्ति अथवा भवन का स्वामी अपने भवन की ऐसी दीवार पर जो सार्वजनिक मार्ग से दिखाई दे अथवा किसी आम रास्ते से प्रभावित होती हो किसी प्रकार का विज्ञापन पट्ट लगाना चाहेगा अथवा किसी प्रकार का विज्ञापन लिखने या लिखवाने या चित्रित करने या वितरित करवाने के लिये आवेदक पत्र देगा उसे भी निम्नलिखित शर्तो पर अनुज्ञा पत्र दिया जा सकेगा :–

(क) निजी भवन पर विज्ञापन लगाने को जो भी अनुमति प्राप्त करेंगे व उसका शुल्क नगर परिषद विज्ञापन पट्ट पर लगाये जाने वाले विज्ञापन शुल्क या आधा भाग नगर पालिका में अग्रिम जमा करानी होगी।

यदि आवेदक स्वयं भवन का मालिक है तो ऐसे विज्ञापन लगाने का लिखित स्वीकृति पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा ।

(ग) यदि आवेदक स्वयं भवन का मालिक नहीं है और वह अपने नाम से अनुज्ञा पत्र लेने का इच्छुक है तो उसे भवन के मालिक का यह भी लिखित "दायित्व पत्र" प्रस्तुत करना होगा कि आवेदक यदि वार्षिक शुल्क समय पर जमा नहीं करेगा तो भवन का मालिक स्वयं जमा करा देगा।

(घ) ऐसे विज्ञापन की दीवार पर लिखाई अथवा दीवार पर चित्र ठीक और सुन्दर हालत में रखना होगा।

(ड) प्रथम वर्ष की शुल्क अग्रिम जमा हो जाने के पश्चात् आगामी वर्षो की कुल शुल्क जमा कराने का उत्तरदायित्व गृहस्वामी का ही होगा तथा प्रतिवर्ष इसका नवीनीकरण न कराने की दशा में तथा रकम न जमा कराने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

14. प्रतिबन्ध :– (क) कोई भी विज्ञापन इस प्रकार प्रदर्शित नहीं किया जावेगा जिससे वाणिज्यक संस्थान के उपर कंगारो में कोई विकृति हो अथवा वे वाच्छादित हो जावें।

(ख) कोई भी विज्ञापन वाणिज्यिक संस्थान की छत की मुडेर पर अनुमत नहीं किया जावेगा किन्तु मुंडेर के पीछे छत पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति दी जा सकेगी बशर्ते ऐसा विज्ञापन मुंडेर से 3 फीट की ऊँचाई से अधिक न हो।

(ग) कोई भी विज्ञापन वाणिज्यिक संस्थान के आगे फुटपाथ अथवा सड़क की ओर झुका हुआ अनुमत नहीं किया जावेगा।

(ध) विज्ञापन होर्डिग का साइज कम से कम 12*8 फिट का होगा या इसका निचला भाग जमीन की सतह से 6 फीट की ऊँचाई पर होगा।

(घ) कोई भी विज्ञापन किसी यातायात नियमों के अंतर्गत प्रदर्शित चिन्ह या पट्टे से 150 फीट की दूरी से कम दूरी पर अनुमत नहीं किया जावेगा एवं ऐसा विज्ञापन पट्ट उक्त यातायात चिन्हों के अंकित रंग से पृथक होगा।

(च) किसी भी सड़क के आर पार किसी प्रकार के कोई विज्ञापन न तो लटकाया जा सकेगा और न प्रदर्शित किया जावेगा जिससे कि वाहन चालकों की दृष्टि उन पर न पड़े।

(छ), किसी भी सार्वजनिक भवन प्राचीन व दीवार उदाहरणार्थ अस्पताल शैक्षणिक संस्थाएं, सार्वजनिक कार्यालय, राष्ट्रीय स्मारक पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किया जावेगा।

15. मुक्तियां :– जनहित की दृष्टि से निम्न परिस्थितियों में विज्ञापन प्रदर्शित करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

(क) शासकीय व विभागीय चेतावनी चिन्ह यातायात निर्देश किसी न्यायालय या सार्वजनिक अधिकारी जो अपने कर्तव्यों के पालन से कोई विज्ञापन पत्र सूचना पत्र या अन्य विज्ञापन प्रदर्शित करे या प्रदर्शित करने का निर्देश दे उदाहरणार्थ सार्वजनिक न्यास द्वारा भूमि विक्रय संबंधी विज्ञापन व पेट्रोल स्टेशनों पर पेट्रोल संबंधी चिन्ह आदि।

16. विज्ञापन पत्र अथवा सूचना पत्र जो कि उपविधि 13 नियम (1) के अनुसार नगर परिषद सूचना पट्ट पर चिपकाये जावेगे आयुक्त के आदेश से चिपकाने की तिथि से स्पष्ट 15 दिन पश्चात अनुज्ञाधारी को बिना पूर्व सूचना दिये हटा दिये जावेगे।

17. जो कोई व्यक्ति अपने स्वयं के नाम के ऐसे विज्ञापन सूचनाएं साईन बोर्ड अथवा नामांकन पत्र जो उनकी स्वयं की दुकान अथवा व्यवसाय अथवा नाम से संबंध रखते हैं और स्वयं की ही दुकान या व्यवसाय या भवन पर लगाये है। उन पर ये उपविधियां प्रभावशील नहीं होगी मगर ऐसे विज्ञापन साइन बोर्ड 2 वर्ग फुट से अधिक नहीं होगे।

18. निम्नांकित हस्तचित्र अथवा सूचनाऐं निःशुल्क चिपकाई जायेगी :–

(क) वे समस्त सूचनाऐं जो नगर पालिकाओं से तथा राज्य सरकार से प्राप्त होगी।

(ख) वे समस्त सूचनाऐं जो विशुद्ध धार्मिक हों अथवा जनहित में उचित प्रतीत होती हो अथवा उपविधि 15 में अंकित हो।

19. कोई भी व्यक्ति नगरपालिका के सूचना पट्ट पर लगाये गये विज्ञापन व अन्य अनुज्ञापत्रित विज्ञापन अथवा दीवार पर लिखे या चित्रित किये गये विज्ञापनों को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुचायेगा।

20. परिषद के प्रत्येक राजस्व निरीक्षक तथा वार्ड जमादार का कर्तव्य होगा कि वे अपने क्षेत्र में अन्य उपविधि में से किसी भी उपविधि का उल्लघंन पाये जाने पर अनुज्ञापत्र प्राधिकार को लिखित में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

21. इन उपनियमों के उल्लघंन करने वाले दोषी व्यक्ति का चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने का अधिकार आयुक्त को होगा।

22. न्यायालय में विचाराधीन अभियोग को वापिस लेने अथवा समझौता करने का अधिकार राजस्थान समझौता नियम, 1956 के प्रावधानुसार होगा।

23. इन उपविधियों में से किसी भी उपविधि का उल्लंघन प्रमाणित होने पर सक्षम न्यायाधीश द्वारा 200/– रूपये तक का अर्थदण्ड भी दिया जा सकेगा और उल्लघंन जारी रखने तक 5–00 प्रतिदिन अतिरिक्त दण्ड भी दिया जा सकेगा।

24. अर्थदण्ड की धनराशि न्यायालय में जमा हो जाने पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 (अधिनियम संख्या 38 सन् 1959) की धारा 95 व 263 के अनुसार परिषद कोष में भेजी जावेगी।

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 (अधिनियम संख्या 38 सन् 1959) की धारा 90 उपधारा 131 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा नगर परिषद्, अजमेर (विज्ञापन उपविधियां), 1977 जो क्रमांक टैक्स एफ2 डीएलबी/77/1085–87 दिनांक 30.04.77 द्वारा स्वीकृति हुए हैं, में नगर परिषद, अजमेर द्वारा प्रस्तावित निम्न प्रकार से संशोधन पर राजकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

नगर परिषद, अजमेर विज्ञापन उपविधियां 1977 के अंश 5(ग) में संशोधन निम्न प्रकार है–

वर्तमान	**संशोधन**
आवेदन पत्र के स्वीकृत होने पर 6/– रूपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से शुल्क की अग्रिम राशि जमा करानी होगी तथा प्रति वर्ष लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होगा।	आवेदन पत्र की स्वीकृति होने पर 6/– रूपये प्रति वर्ष की वर्ग फीट के हिसाब से शुल्क की अग्रिम जमा करानी होगी। विज्ञापन खुले नीलाम पर अथवा 6/– रूपये प्रति वर्ग फीट प्रति वर्ष अथवा कुल मीला के हिसाब से जो भी अधिक रकम होगी उसका एक वर्ष के लिए ठेका दिया जायेगा तथा राजकीय विज्ञापन पर छूट दी जा सकेगी, ठेका किसी व्यक्ति को नहीं दिया जावेगा।

आज्ञा से,

शासन उप सचिव

सं.: एफ5/डीएलबी/77/1045 **दिनांक : 31.05.89**

प्रतिलिपि सूचनायें एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र भाग आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।

(2) प्रशासक, नगर परिषद, अजमेर को उनके पत्रांक 790 दि. 25.03.89 के संदर्भ में

(3) सुरक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव